

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर-482002
दूरभाष -9406900500
E-mail- jabalpur.sanchi@gmail.com

“साँची मोबाइल पार्लर” संचालन हेतु आवेदन आमंत्रण

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, शहडोल, रीवा, सतना एवं सिंगरौली जिलों में साँची मोबाइल पार्लरों का आवंटन किया जाना है। तत्संबंध में आवेदकों (व्यक्ति/फर्म/संस्था/एनजीओ) से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिनके पास स्वयं का अथवा किराये का अनुबंधित ई-रिक्शा या समकक्ष वाहन हो। साँची मोबाइल पार्लर का आवंटन “प्रथम आओ-प्रथम पाओ” के आधार पर किया जावेगा। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता को अलग-अलग जिलों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र की राशि रु. 50/- जबलपुर दुग्ध संघ में जमा कर पावती आवेदन के साथ संलग्न कर वांछित दस्तावेजों सहित भौतिक रूप से दिनांक 15.12.2022 को सांय 03:00 बजे तक दुग्ध संघ के जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होंगे। एमपीसीडीएफ की साँची मोबाइल पार्लर आवंटन नीति-2022 अनुसार पार्लर का आवंटन किया जावेगा। आवेदन भरने संबंधी सम्पूर्ण जानकारी जबलपुर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित होगा।

इस आवेदन में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा।

अधिक जानकारी के लिये निम्न मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें :-

1. जबलपुर - 9425805645, 9406900503, 9713396007, 8962116434, 7000154411
2. छिंदवाड़ा/सिवनी - 9407392919, 7697200819, 7024439601
3. बालाघाट - 8251887051
4. रीवा/सतना - 7898098210
5. मंडला/नरसिंहपुर - 8962116434
6. कटनी - 7987268850
7. शहडोल - 9713396007
8. सिंगरौली - 7415732051

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

“साँची मोबाइल पार्लर” आवंटन नीति-2022

सामान्य शर्तें

हितग्राही चयन :-

1. कोई भी आवेदक स्वयं, फर्म, संस्था, स्व-सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि यदि दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में वांछित स्थान पर “साँची मोबाइल पार्लर” आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। “साँची मोबाइल पार्लर” हेतु वाहन स्वयं आवेदक का होगा या किराये की दशा में आवेदक से अनुबंधित होगा। (आवेदक को अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा)
2. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित दुग्ध संघ द्वारा प्राप्त आवेदन एवं आवेदित स्थान का परीक्षण किया जाएगा। तदोपरांत उपयुक्त पाए जाने पर दुग्ध संघ द्वारा “साँची मोबाइल पार्लर” आवंटन हेतु आगामी कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त आवेदनों में यदि कोई ऐसा आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में संबंधित के विरुद्ध संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
3. दुग्ध संघ “साँची मोबाइल पार्लर” का आवंटन “प्रथम आओ, प्रथम पाओ” के आधार पर करेंगे। यह योजना सभी हितग्राहियों के लिए खुली रहेगी। हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
4. यदि कोई हितग्राही “साँची मोबाइल पार्लर” संचालन हेतु किसी शासकीय योजना के अंतर्गत स्वीकृति चाहता है तो वह संबंधित विभाग से उस योजना अंतर्गत लाभ ले सकता है।
5. ई-रिक्शा/वाहन का मॉडल/वाहन कंपनी के चयन के संबंध में आवेदक स्वयं निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा परंतु आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ई-रिक्शा वाहन “साँची मोबाइल पार्लर” के लिए अनुकूल होना चाहिये। ऋण हेतु बैंक का चयन हितग्राही स्वयं के स्वविवेक से करेंगे।
6. यदि कोई कंपनी अथवा किसी प्रकार की संस्था “साँची मोबाइल पार्लर” संचालित करना चाहती है तो उसे भी इसी प्रक्रिया के तहत अनुमति जारी की जाएगी।
7. दुग्ध संघों द्वारा बैंकों और हितग्राहियों के मध्य समन्वयक की भूमिका का वहन किया जाएगा।
8. संघ की लाभात्मकता सुनिश्चित करते हुए दुग्ध संघ अपने स्तर पर “साँची मोबाइल पार्लरों” हेतु कोई भी वित्तीय या गैर-वित्तीय व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे।
9. वर्तमान में जिन आवेदकों के एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा। तत्संबंध में आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रक्रिया :-

10. आवेदकों को "साँची मोबाइल पार्लर" स्वीकृति/आवंटन के लिए निम्नानुसार दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- समस्त दस्तावेजों के साथ पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र।
 - वाहन के नियमानुसार संपूर्ण दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 - FSSAI लायसेंस/रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
 - GST लायसेंस/रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
 - निर्धारित अन्य दस्तावेज यथा- आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
11. दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" की पहचान हेतु एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। हितग्राही से प्रत्येक "साँची मोबाइल पार्लर" संचालन की अधिकारिता प्रदान करने हेतु रु 5000 (पांच हजार) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त किए जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा निधि आधी अर्थात् रु 2500/- (रु दो हजार पाँच सौ) होगी। कार्य समाप्ति के 6 माह बाद लेखा मिलान पश्चात् एवं सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा नो ड्यूज दिये जाने पर इस सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रु 4000 (चार हजार) की राशि वापिस की जावेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रु 2000 (रु दो हजार) की राशि वापिस की जावेगी।
12. "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु न्यूनतम अर्हताएं (*स्पेसिफिकेशन*) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:- फ्रीजर, डीप-फ्रीजर (200 ली. क्षमता) व सामान्य तापमान की खाद्य सामग्री/वस्तु रखने का स्थान, लाऊड स्पीकर (यूएसबी सुविधा युक्त), हैंड बिलिंग सिस्टम, साँची उत्पादों की मूल्य सूची दर्शाने हेतु उपयुक्त स्थान अवश्य होना चाहिये।
13. आवेदक को "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन होने के पश्चात् यदि जीएसटी लेना शेष हो तो एक माह की अवधि में जीएसटी की प्रति दुग्ध संघ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
14. "साँची मोबाइल पार्लर" का संचालन पूर्णतः आवेदक को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं के स्तर से हस्तांतरित या किराये पर नहीं दिया जा सकेगा।

सामग्री प्रदाय :-

15. "साँची मोबाइल पार्लर" को केवल अग्रिम भुगतान के आधार पर सामग्री (दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद) प्रदायित की जाएगी। सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि को अग्रिम नहीं माना जावेगा। राशि अग्रिम प्राप्त नहीं होने पर सामग्री नहीं दी जावेगी।
- आवेदक स्वयं, फर्म, संस्था, स्व-सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि को साँची के समस्त दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ में वितरक द्वारा रिटेलर दर पर प्रदाय किए जाएंगे। जबलपुर दुग्ध संघ एवं "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक के मध्य केवल एक चैनल (वितरक) होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों को उपभोक्ता मूल्य पर ही विक्रय किया जावेगा।

16. यदि कोई कंपनी/संस्था न्यूनतम 10 साँची मोबाइल पार्लर का संचालन करती है तो दुग्ध संघ संयंत्र से सीधे दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त करने की शर्त पर उन्हें दूध एवं दुग्ध उत्पाद सीधे वितरक दर पर प्रदाय किया जा सकेगा।
17. "साँची मोबाइल पार्लर" द्वारा केवल उपभोक्ता को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। किसी भी स्थिति में साँची के वितरक/पार्लर/एजेंसी को सामग्री विक्रय नहीं की जाएगी। ऐसा करते पाये जाने पर "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का कार्यादेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
18. आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। इस बाबत रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र (परिशिष्ट-‘अ’) अनुसार प्राप्त किया जावेगा।
19. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन नीति-2022 के प्रावधानों या किसी भी अंश को एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघों की किसी भी निविदा, अभिरुचि की अभिव्यक्ति, आवेदन प्रक्रिया या अनुबंध आदि के लिए उदाहरण, बैचमार्क या आधार नहीं माना जाएगा।

रूट निर्धारण :-

20. "साँची मोबाइल पार्लर" का रूट निर्धारण आवेदन अनुसार आवंटन उपरांत पृथक से किया जावेगा।
21. "साँची मोबाइल पार्लर" दुग्ध संघों द्वारा स्थापित किसी भी स्थायी पार्लर से 100 मीटर की परिधि में सामग्री विक्रय हेतु खड़े नहीं हो सकेंगे। उल्लंघन की दशा में रु. 500/- की पेनल्टी का भुगतान मोबाइल पार्लर संचालक को करना होगा।

अन्य शर्तें :-

22. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को विद्यमान समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। किसी भी नियम/कानून का उल्लंघन करने पर "साँची मोबाइल पार्लर" की जिम्मेदारी रहेगी। "साँची मोबाइल पार्लर" संबंधित व्यक्ति की संपत्ति होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजों, शासन, नगर निगम, यातायात के प्रचलित नियमों के पालन, किराया/फीस व पालन न होने के स्थिति में पैनल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण दायित्व "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का होगा।
23. "साँची मोबाइल पार्लर" की कार्य अवधि, कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी आदेश तक निरंतर जारी रखी जावेगी।
24. "साँची मोबाइल पार्लर" का निरीक्षण एवं इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण दुग्ध संघ परिसर में प्रथम बार चयन के समय किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा। "साँची मोबाइल पार्लर" मापदंडों के अनुरूप पाए जाने पर ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। कार्य आवंटन पश्चात् "साँची मोबाइल पार्लर" के निर्धारित मापदंडों में बदलाव करने/आवश्यक दस्तावेज न होने की स्थिति में उसका कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।
25. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानान्तर अथवा प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दूध एवं दुग्ध उत्पाद हों या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।
26. किसी भी "साँची मोबाइल पार्लर" के संचालक की मृत्यु होने पर "एमपीसीडीएफ के पार्लर संचालक के मृत्यु होने पर हस्तांतरण" संबंधी नियम/निर्देश लागू होंगे। जिसके

- लिए निर्धारित अनुबंध में "साँची मोबाइल पार्लर" को उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होगी।
27. "साँची मोबाइल पार्लर" अहस्तांतरणीय रहेगा।
 28. दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकने पर "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिए दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में एजेंट कार्य दुग्ध संघ द्वारा समाप्त कर दिया जावेगा। कार्य आवंटन निरस्त होने के पश्चात् संबंधित "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक साँची का ब्राण्ड नेम, लोगो आदि का उपयोग नहीं कर सकेगा। बैंक लोन आदि होने की स्थिति में संपूर्ण लोन राशि जमा करने की जवाबदारी संबंधित "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक की होगी।
 29. "साँची मोबाइल पार्लर" को प्रदाय की गई सामग्री की वापसी की कोई प्रक्रिया नहीं होगी।
 30. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन पश्चात् "साँची मोबाइल पार्लर" पर किसी भी अन्य कम्पनी या उत्पाद के विज्ञापन करवाने की अनुमति नहीं होगी। "साँची मोबाइल पार्लर" पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन के साँची ब्राण्ड के विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होंगे। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कम्पनी, ब्राण्ड या उत्पाद के साँची ब्राण्ड के साथ संयुक्त विज्ञापन हेतु यदि बार्टर डील की जाती है तो तदनुसार एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ के निर्देश पर "साँची मोबाइल पार्लर" पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जावेंगे। साथ ही एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कंपनी से टाईअप करने पर संबंधित कंपनी के उत्पाद भी "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को अनिवार्य रूप से विक्रय करने होंगे।
 31. "साँची मोबाइल पार्लर" के आवेदन प्रपत्र/आवंटन की प्रक्रिया एवं उस पर दी हुई समस्त शर्तें अनुबंध का भाग मानी जावेंगी।
 32. "साँची मोबाइल पार्लर" में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के माल का विक्रय नहीं किया जावेगा और ना ही बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, मदिरा अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जाएगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर उक्त "साँची मोबाइल पार्लर" को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
 33. यदि "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद आर्बीटेशन हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधकारी होगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीटेशन की कार्यवाही आर्बीटेशन एंड कौंसिल अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
 34. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
 35. समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर होगा।
 36. समय-समय पर एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देश पत्र, परिपत्र का परिपालन करना "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक पर बंधनकारी होगा।
 37. आवेदन/अनुबंध की शर्तों/कांडिकाओं में टंकण त्रुटि एवं अस्पष्टता होने से इसको स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार जबलपुर दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

“साँची मोबाइल पार्लर” हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
.....

स्वयं का
प्रमाणित फोटो
चिपकाएं

1. अ) आवेदक/प्रोपराइटर का नाम :

ब) पिता/पति/(फर्म, संस्था, स्व-सहायता समूह एवं
गैर सरकारी संगठन आदि) का नाम :

2. आवेदक/प्रोपाइटर की शैक्षणिक योग्यता:

3. पता:

अ) स्थाई पता: (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

(दूरभाष/गोबाइल नंबर के साथ)

ब) पत्र व्यवहार का पता:

(दूरभाष/गोबाइल नंबर के साथ)

4. वर्तमान व्यवसाय/कार्य:

– व्यवसाय का प्रकार

– व्यवसाय स्थान का पता

5. आवेदित स्थल का पता:

6. वित्तीय स्थिति:

– वर्तमान व्यवसाय की लागत

– वर्तमान व्यवसाय से आय

– चल/अचल संपत्ति का विवरण

– “साँची मोबाइल पार्लर” व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूंजी

7. जीएसटी नंबर

पैन कार्ड नंबर

एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर

(दस्तावेज संलग्न करें)

8. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (हाँ/नहीं):
(दस्तावेज संलग्न करें)

9 . किसी तरह का अपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण (हाँ/नहीं):
(शपथ पत्र संलग्न करें)

“साँची मोबाइल पार्लर” आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

दिनांक
स्थान

आवेदक/प्रोपराइटर का नाम :
.....

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित शहर में "साँची मोबाइल पार्लर" संचालन कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक शहर हस्ताक्षर शपथग्रहिता

शपथ पत्र (केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि –

1. मेरे विरुद्ध एमपीसीडीएफ अथवा अन्य किसी भी दुग्ध संघ के साथ आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे विरुद्ध आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में है।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देता हूँ/देंते हूँ।

दिनांक-

गवाह-

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

- 1 नाम
पता-
.....
.....
मो.नं.-
आधारकार्ड नं.-

नाम-
पता-.....
.....
.....
मो.नं.-

- 2 नाम-
पता-.....
.....
मो.नं.-
आधारकार्ड नं-.....

अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/ कु.
.. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु वर्ष, निवासी (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है :-

1. अ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर "साँची मोबाइल पार्लर" से दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद विक्रय हेतु अधिकृत किया है।
 - ब. यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा किंतु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।
 - स. "साँची मोबाइल पार्लर" की कार्य अवधि, कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी आदेश तक निरंतर जारी रखी जावेगी।
 - द. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
2. अ. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्त रु/- बतौर प्रतिभूति राशि जबलपुर दुग्ध संघ में जमा करेंगे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 - ब. यह कि भविष्य में सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
 - स. यह कि सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि से "साँची मोबाइल पार्लर" संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
 - द. यह कि द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" की पहचान हेतु एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। हितग्राही से प्रत्येक "साँची मोबाइल पार्लर" संचालन की अधिकारिता प्रदान करने हेतु रु 5000 (पांच हजार) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त किए जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा निधि आधी अर्थात रु 2500/- (रु दो हजार पाँच सौ) होगी। कार्य समाप्ति के 6 माह बाद लेखा मिलान पश्चात एवं सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा नो ड्यूज दिये जाने पर इस सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रु 4000 (चार हजार) की राशि वापिस की जावेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रु 2000 (रु दो हजार) की राशि वापिस की जावेगी।
 - इ. द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे, अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।
3. अ. द्वितीय पक्ष को आवंटित इस "साँची मोबाइल पार्लर" को नीचे दर्शाई गई समयावधि में चलाना होगा।

समय	से	समय
प्रातः.....बजे	सेबजे
सांय.....बजे	सेबजे

- ब. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों की विक्रय मूख तालिका "साँची मोबाइल पार्लर" पर लगाना आवश्यक होगा।
- स. उपभोक्ता यदि दूध की "घर पहुँच सेवा" चाहता है तो द्वितीय पक्ष "घर पहुँच सेवा" के लिए बाध्य होगा। "घर पहुँच सेवा" सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
- द. संचालक को दोनों समय सुबह-शाम दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना अनिवार्य होगा।
4. अ. "साँची मोबाइल पार्लर" द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायसेंस (नगर निगम/अन्य निकाय से) द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।
- ब. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को विद्यमान समस्त कानून अथवा नियम का पालन आवश्यक होगा। किसी भी नियम/कानून का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी। "साँची मोबाइल पार्लर" संबंधित व्यक्ति की संपत्ति होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजों, शासन, नगर निगम, यातायात के प्रचलित नियमों के पालन, किराया/फीस व पालन न होने के स्थिति में पैनल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण दायित्व "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का होगा।
- स. यह कि "साँची मोबाइल पार्लर" में फ्रिज/डीप-फ्रीजर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
- द. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थों के समान्तर अथवा प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दूध एवं दुग्ध उत्पाद हों या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।
- इ. यह कि "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु वाहन द्वितीय पक्ष का होगा। किराये की दशा में द्वितीय पक्ष से अनुबंधित होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" पर होने वाले व्यय जैसे भूमि-किराया, विद्युत, पानी, ईंधन व्यय, रख-रखाव एवं अन्य समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- ई. यह कि द्वितीय पक्ष "साँची मोबाइल पार्लर" का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे तथा "साँची मोबाइल पार्लर" एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गंधरहित रखेंगे।
5. अ. प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।
- ब. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेनदेन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

- स. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही माल विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेंसी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।
- द. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुतपुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि निर्धारित तिथि के पूर्व दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी का कृत्य गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।
- इ. द्वितीय पक्ष द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड, "साँची मोबाइल पार्लर" किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जावेगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि जमा करना अति-आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी पावती अवश्य ली जावेगी।
6. द्वितीय पक्ष को केवल अग्रिम भुगतान के आधार पर सामग्री (दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद) प्रदायित की जाएगी। सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि को अग्रिम नहीं माना जावेगा। राशि अग्रिम प्राप्त नहीं होने पर सामग्री नहीं दी जावेगी। आवेदक स्वयं, फर्म, संस्था, स्व-सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि को साँची के समस्त दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ के अधिकृत वितरक द्वारा रिटेलर दर पर प्रदाय किए जाएंगे। जबलपुर दुग्ध संघ एवं "साँची मोबाइल पार्लर" के मध्य केवल एक चैनल (वितरक) होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों को उपभोक्ता मूल्य पर ही विक्रय किया जावेगा।
7. "साँची मोबाइल पार्लर" द्वारा केवल उपभोक्ता को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। किसी भी स्थिति में साँची के वितरक/पार्लर/बूथ/एजेंसी को सामग्री विक्रय नहीं की जाएगी। ऐसा करते पाये जाने पर "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का कार्यादेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बाटल की सील एवं मात्रा आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
9. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे। इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
10. यह कि "साँची मोबाइल पार्लर" में प्रथम पक्ष द्वारा जो सामान, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ब्रांडिंग मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं एवं भविष्य में उपलब्ध कराए जायेंगे एवं क्रेटस प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।
11. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
12. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।

13. यह कि प्रथम पक्ष के विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय-समय पर बनाए जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये पार्लर का समय एवं दूध/दुग्ध पदार्थ के मार्जिन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।
15. यह कि इस अनुबंध की शर्तें व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकने पर "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में कार्यदेश दुग्ध संघ द्वारा समाप्त कर दिया जावेगा। कार्य आवंटन निरस्त होने के पश्चात् संबंधित "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक साँची का ब्राण्ड नेम, लोगो आदि का उपयोग नहीं कर सकेगा। बैंक लोन आदि होने की स्थिति में संपूर्ण लोन राशि जमा करने की जवाबदारी संबंधित "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक की होगी।
17. "साँची मोबाइल पार्लर" में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के माल का विक्रय नहीं किया जावेगा और ना ही बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, मदिरा अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जाएगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर उक्त "साँची मोबाइल पार्लर" को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
18. "साँची मोबाइल पार्लर" दुग्ध संघों द्वारा स्थापित किसी भी स्थायी पार्लर से 100 मीटर की परिधि में सामग्री विक्रय हेतु खड़े नहीं हो सकेंगे। उल्लंघन की दशा में रु. 500/- की पेनल्टी का भुगतान मोबाइल पार्लर संचालक को करना होगा।
19. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन नीति-2022 के प्रावधानों या किसी भी अंश को एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघों की किसी भी निविदा, अभिरुचि की अभिव्यक्ति, आवेदन प्रक्रिया या अनुबंध आदि के लिए उदाहरण, बेंचमार्क या आधार नहीं माना जाएगा।
20. यह अनुबंध दोनों पक्षों के अधिकृत वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमती/कु. को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।
21. "साँची मोबाइल पार्लर" के आवेदन प्रपत्र/आवंटन की प्रक्रिया एवं उस पर दी हुई समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जावेंगी।
22. "साँची मोबाइल पार्लर" का निरीक्षण एवं इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण दुग्ध संघ परिसर में प्रथम बार चयन के समय किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा। "साँची मोबाइल पार्लर" मापदंडों के अनुरूप पाए जाने पर ही कार्यदेश जारी किया जा सकेगा। कार्य आवंटन पश्चात् "साँची मोबाइल पार्लर" के निर्धारित मापदंडों में बदलाव करने/आवश्यक दस्तावेज न होने की स्थिति में उसका कार्यदेश निरस्त किया जा सकेगा।
23. किसी भी "साँची मोबाइल पार्लर" के संचालक की मृत्यु होने पर "एमपीसीडीएफ के पार्लर संचालक के मृत्यु होने पर हस्तांतरण" संबंधी नियम/निर्देश लागू होंगे।
24. "साँची मोबाइल पार्लर" अहस्तांतरणीय रहेगा।
25. "साँची मोबाइल पार्लर" को प्रदाय की गई खाद्य सामग्री (दूध एवं दुग्ध उत्पाद) की वापसी की कोई प्रक्रिया नहीं होगी।
26. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन पश्चात् "साँची मोबाइल पार्लर" पर किसी भी अन्य कम्पनी या उत्पाद के विज्ञापन करवाने की अनुमति नहीं होगी। "साँची मोबाइल पार्लर" पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाइन के साँची ब्राण्ड के विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होंगे। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कम्पनी, ब्राण्ड या उत्पाद के साँची ब्राण्ड के

साथ संयुक्त विज्ञापन हेतु यदि बार्टर डील की जाती है तो तदानुसार एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ के निर्देश पर "साँची मोबाइल पार्लर" पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जावेंगे। साथ ही एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कंपनी से टाईअप करने पर संबंधित कंपनी के उत्पाद भी "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को अनिवार्य रूप से विक्रय करने होंगे।

27. यदि "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद आर्बीटेशन हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधकारी होगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीटेशन की कार्यवाही आर्बीटेशन एंड कौंसिल अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
28. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
29. समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर होगा।
30. समय-समय पर एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देश पत्र, परिपत्र का परिपालन करना "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक पर बंधनकारी होगा।
31. आवेदन/अनुबंध की शर्तों/कंडिकाओं में टंकण त्रुटि एवं अस्पष्टता होने से इसको स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर, समझ ली हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक

गवाह :

1. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

हस्ताक्षर

1. प्रथम पक्षकार

2. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

हस्ताक्षर

2. द्वितीय पक्षकार

X-----X-----X-----X-----X

--: समाप्त :-

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.